



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082022-237999
CG-DL-E-08082022-237999

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3556]
No. 3556]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 8, 2022/श्रावण 17, 1944
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 8, 2022/SHRAVANA 17, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2022

का. आ. 3723(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii) में दिनांक 4 अगस्त 2022 को प्रकाशित की गई दिनांक 4 अगस्त 2022 की समसंख्यक अधिसूचना में :-

- (i) पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 10 में 17 राज्य सरकारों के स्थान पर, 16 राज्य सरकारों को पढ़ा जाए;
- (ii) पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 13 में 17 राज्यों के स्थान पर, 16 राज्यों को पढ़ा जाए;
- (iii) पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 22 में 17 राज्यों के स्थान पर, 16 राज्यों को पढ़ा जाए;
- (iv) पृष्ठ 3 पर, छत्तीसगढ़ राज्य का नाम सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) और सरोगेसी (विनियमन) (कठिनाइयों को दूर करने का) आदेश 2022 के पैराग्राफ 2 के अंतर्गत तालिका में क्र. सं. 3 का लोप किया गया है और सही तालिका को निम्नानुसार पढ़ा जाए :-

1. असम	7. झारखण्ड	13. सिक्किम
2. बिहार	8. कर्नाटक	14. त्रिपुरा
3. गोवा	9. मणिपुर	15. उत्तर प्रदेश
4. गुजरात	10. मेघालय	16. उत्तराखंड
5. हरियाणा	11. नागालैंड	
6. हिमाचल प्रदेश	12. राजस्थान	

[फा. सं. यू.11019/133 /2022-एचआर]

गीता नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health Research)****CORRIGENDA**

New Delhi, the 8th August, 2022

S.O. 3723(E).—In the Notification of even No. dated 4th August, 2022, as Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) on 4th August 2022:-

(i) at page 3, line 10 for 17 State Governments, read 16 State Governments;

(ii) at page 3, line 13 for 17 States, read 16 States;

(iii) at page 3, line 22 for 17 States, read 16 States;

(iv) at page 3, the name of the State Chhattisgarh mentioned at S. No. 3 in table under para 2 of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) and the Surrogacy (Regulation) (Removal of Difficulties) Order, 2022 stands omitted and the corrected table shall read as under:-

1. Assam	7. Jharkhand	13. Sikkim
2. Bihar	8. Karnataka	14. Tripura
3. Goa	9. Manipur	15. Uttar Pradesh
4. Gujarat	10. Meghalaya	16. Uttarakhand
5. Haryana	11. Nagaland	
6. Himachal Pradesh	12. Rajasthan	

[F. No. U.11019/ 133 /2022-HR]

GEETA NARAYAN, Jt. Secy.